फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **गोना वगैरह** | विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 131 एल.आर.एक्ट | पत्रावली संख्या :– **03/26 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2026/12**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.02.2026 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम सुखवाड़ा प.ह. साकरिया खेडी में खसरा संख्या 890/25 रकबा 0.4937 हेक्टेयर किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ, आराजी संख्या 1291/890 रकबा 0.0647 हेक्टेयर किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ, आराजी संख्या 1292/890 रकबा 0.0081 हेक्टेयर किस्म बंजड़ किता 3 रकबा 0.5665 हेक्टेयर भूमि गोविन्दा पुत्र लखा हिस्सा 1/4 भील, चुनकी पत्नी लखा हिस्सा 1/4 भील, मगना पुत्र लखा हिस्सा 1/4 भील, शम्भु पुत्र लखा हिस्सा 1/4 भील सा देह दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट नक्शा शीट लट्टा में खसरा संख्या 890/25 मूल नम्बर के रूप में तरमीम है। ग्राम सुखवाडा की नामान्तरण संख्या 1031 दिनांक 04.06.2019 समर्पण से खसरा संख्या 890/25 में से रकबा 0–02 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड हुई। उपरोक्त 0–02 बिस्वा भूमि के नवीन नम्बर 1290/25 दर्ज हुए। ग्राम सुखवाड़ा की नामान्तरण सख्या 1066 दिनांक 22.07.2020 संपरिवर्तन से आराजी नम्बर 890/25 रकबा 3–10 बीघा में से रकबा 3–09 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ सीमेन्ट ब्रिक्स हेतु संपरिवर्तन की गई जिससे नवीन आराजी नम्बर 1291/890 रकबा 0–08 बीघा (0.0647 हेक्टेयर) औद्योगिक प्रयोजनार्थ, 1292/890 रकबा 0–01 बीघा (0.0081 हेक्टेयर) किस्म बंजड व 890/25 रकबा 3–01 बीघा (0. 4937 हेक्टेयर) औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज हुए। उपरोक्त आरजीयात् 890/25, 1290/25. 1291/890, 1292/890 को वक्त सेग्रीगेशन गलत तरमीम कर दिया गया है जिसकी तरमीम नामान्तरण पर संलग्न नक्शा अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम सुखवाडा पटवार हल्का साकरियाखेडी तहसील मावली की आराजी नम्बर मूल आराजी नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि गोविन्दा, मगना, शम्भू पिता लखा, चुनकी बेवा लखा के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि में से 2 बिस्वा भूमि किस्म रास्ता हेतु राज्य सरकार को समर्पित करने से उक्त वादग्रस्त भूमि के आराजी नम्बर 890/25 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारो के नाम दर्ज रही एवं आराजी नम्बर 1290/25 रकबा 2 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज की गई। उक्त समर्पण के दौरान नक्शा ट्रेस तैयार किया गया। जिसके अनुसार पृथक–पृथक तरमीम की गई। आराजी नम्बर 890/25 [illegible] के नाम रही उस भूमि का खातेदारो द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया। संपरिवर्तन के दौरान उक्त भूमि [illegible] लाईन [illegible] कारण नोर्म्स के अनुसार विद्युत लाईन गुजरने वाली भूमि का संपरिवर्तन नहीं किया गया। शेष भूमि का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadja
Date: 2026.03.12 13:38:39 IST
Reason: SelfAttested

संपरिवर्तन किया गया। जिसके कारण उक्त आराजी नम्बर 890/25 के संपरिवर्तन के पश्चात तीन नम्बर कायम किए गए। जो इस प्रकार है कि आराजी नम्बर 890/25 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 1291/890 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1292/890 रकबा 1 बिस्वा है। उक्त संपरिवर्तन के समय भी नक्शा ट्रेस तैयार किया गया था, जिसके अनुसार नक्शे में तरमीम की जानी थी। औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के पश्चात उक्त भूमि का क्रय प्रार्थीगण द्वारा कर लिया गया। राजस्व कर्मचारियो के सेग्रीगेशन के दौरान सर्मपण एवं संपरिवर्तन के दौरान तैयार नक्शा ट्रेस अनुसार ही तरमीम राजस्व नक्शे में की जानी थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम तैयार नही कर अपने मनमुताबिक तरमीम कर दी गई। जो की उचित नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि समर्पण एवं संपरिवर्तन के दौरान जिस आराजी का जितना रकबा अंकित किया गया था तथा जो नक्शा ट्रेस बनाया गया था। उसी अनुसार नक्शे में तरमीम करनी चाहिए। परन्तु इस प्रकरण में तरमीम गलत कर देने से आराजीयात का रकबा कम ज्यादा अंकित हो गया जो कि न्यायोचित नही है। वैसे भी राजस्व कर्मचारियो को अपने मनमुताबिक तरमीम करने का अधिकार नही है। इस कारण से साबिक नक्शा/संपरिवर्तन/समर्पण के नक्शा ट्रेस अनुसार हाल राजस्व नक्शे में तरमीम नही करने से उक्त त्रुटि चली आ रही है। जिसे तहसीलदार मावली द्वारा भी स्वीकार किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजीयात का समर्पण एवं संपरिवर्तन के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाकर जमाबंदी एवं नक्शे का रकबा बराबर कराना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सुखवाडा पटवार हल्का साकरियाखेड़ी तहसील मावली के आराजी नम्बर 1291/890, 1292/890, 890/25 की तरमीम साबिक नक्शा/प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:39 IST
Reason: SelfAttested